फर्द आदेशिका

धन्नालाल बनाम हनुमान

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

…/2024

तारीख आदेश कार्यवाही	आदेश सिलसिला क्या गया	विशेष विवरण
8.5.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। सुनवाई की जाकर पत्रावली दिनांक 18/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
18.5.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को 1. अंतिम अवसर प्रदान करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती। अभिभाषक प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक पक्षीय सुनी जाती। बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 क सी० पी० सी० 1908 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है की उनवानी प्रकरण धन्नालाल वगै. बनाम हनुमान प्रार्थना पत्र सं. 50/2023 अन्तर्गत धारा 251A R.T.A 1955 के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/07/2024 के पश्चात यदि रास्ते में आ रही भूमि में अप्रार्थी द्वारा कोई निर्माण कार्य किया गया है तो अप्रार्थी को पाबन्द नोटिस जारी उक्त निर्माण को हटाने हेतु पाबंद करे। यदि पाबंद करने के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा निर्मित संरचना को नहीं हटाया जाता है तो अप्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्मित संरचना को हटवाते हुए न्यायालय आदेश दिनांक 5/7/2024 की पालना करवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	

करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[redacted] बयपुर